

वन विभाग, हरियाणा सरकार ।

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला शहर ।

फ़ौरेस्ट काम्प्लैक्स, कम्पनी बाग, विकास विहार के सामने, अम्बाला शहर, दूरभाष 0171-2550916,

क्रमांक: 230

दिनांक: 08/05/23

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पचकुंला ।

विषय: Diversion of 0.1852 ha. of Forest Land in favour of BPCL for access to New Retail outlet at Village Kakru (WML) on Ambala-Chandigarh NH 152 in RDKM 09.162 LHS Khasra No. 20//11/2, 19/2/2, 20/2, 19//15/2, 16, 14/1, 17, 24/4. Tehsil Ambala Cantt. Distt. Ambala under Forest Division & Distt. Ambala Haryana. Proposal No. FP/HR/Approach/149102/2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विचाराधीन केस में आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 12.04.2023 को EDS के माध्यम से दर्शाई गई त्रुटियों को दूर करके सूचना मद वाईज पत्र के साथ सलंगन आगामी कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को भेजी जाती है जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है:-

1. मद सख्या I के अनुसार Layout plan showing forest area calculation has not been uploaded. So legible copy of layout plan showing forest area calculation and duly signed by Competent authority and further Countersigned by DFO be uploaded. मांगी गई सूचना प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा दुरुस्त करके निम्नहस्ताक्षरी के Countersigned उपरान्त साईट पर अपलोड कर दी गई है। जिसकी प्रति साथ सलंगन है।
2. मद सख्या II के अनुसार Final CLU permission be uploaded. मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा दी गई अण्डरटैकिंग साथ सलंगन है।
3. मद सख्या III के अनुसार In NPV calculation sheet, density of vegetation mentioned as 0.2-4 is needed to be corrected as it does not match with online part-II मांगी गई सूचना दुरुस्त करके साईट पर अपलोड कर दी गई है। जिसकी प्रति साथ सलंगन है।
4. इसके अतिरिक्त रिवाइज रेट के अनुसार सी0ए0 स्कीम रिवाइज करके साईट पर अपलोड कर दी गई है। जिसकी प्रति साथ सलंगन है।

पृ0 क्रमांक: 231

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला।

दिनांक: 08/05/23

वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला।